निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :208/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. डॉ॰ मुनव्वर चौधरी खान पुत्र श्री उमर मोहम्मद चैयरमैन, जयपुर।
2. डॉ॰ श्रीमती निरहत चौधरी पत्नी डॉ॰ मुनव्वर चौधरी खान निदेशक, मैसर्स अजय मेरू हाउसिंग डवलपमेन्ट प्रा॰लि॰ 1567, खाचरियावास हाऊस, गंगापोल गेट, जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक जयपुर, जिला जयपुर।
2. महेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व॰ श्री लक्ष्मीनारायण यादव
3. अरविन्द कुमार पुत्र स्व॰ श्री महावीर प्रसाद यादव

निवासीगण मकान नम्बर 36–ए, तारानगर, पुलिस थाना झोटवाडा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 दण्ड प्रकियश संहिता 19786 बाबत प्रकरण संख्या (2/2006) 1/2021 उनवानी सरकार बनाम महावीर प्रसाद यादव व अन्य अन्तर्गत धारा 145/146, दण्ड प्रकिया संहिता 1976 अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वितीय जयपुर की पीठासीन अधिकारी नीलमा तक्षक से अन्य किसी सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अन्तरित किये ।

उपस्थितः–

1. श्री के॰ डी॰ शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री संदीप शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 28.12.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वितीय जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या (2/2006) 1/2021 ब उनवानी सरकार बनाम महावीर प्रसाद यादव व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वितीय जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 11.06.2006 के मध्य रात्रि पुलिस से मिल कर अप्रार्थीगण राजेन्द्र प्रसाद व 20–30 अन्य लोगों ने प्रार्थीगण व कर्मचारियों से घातक हथियारों व लाठी–डण्डों से मारपीट की व जानवरों को बाड़े से खोल कर ले गये तथा सामान उठा कर ले गये। पुलिस थाना द्वारा कार्यवाही न करने पर प्रार्थीगण ने इसकी शिकायत माननीय गृह मंत्री व पुलिस महानिरीक्षक आदि को की । दिनांक 23.06.2006 को पुलिस थाना चन्दवाजी ने उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में धारा 145/146 जाब्ता फौजदारी में रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जिस पर अधीनस्थ मजिस्ट्रेट ने धारा 145(1) के जाब्ता फौजदारी के तहत आदेश पारित किया तथा दिनांक 20.07.2006 को आपातिक स्थिति समझते हुये जाब्ता फौजदारी की धारा 146 के अर्न्तगत विवादित सम्पत्ति को कुर्क कर तहसीलदार आमेर को रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित किया तथा दिनांक 24.07.2006 को तहसीलदार आमेर रिसीवर ने वादग्रस्त सम्पत्ति को अपने कब्जे व नियंत्रण में ले लिया। वर्तमान में उक्त प्रकरण दिनांक 27.01.2021 से अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वितीय जयपुर के यहां विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय कलक्ट्रेट परिसर के ग्राउण्ड फ्लोर के कमरा नम्बर 73 मे कार्यरत है तथा पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीलमा तक्षक का चैम्बर प्रथम फ्लोर के कमरा नम्बर 109 में स्थित है। दिनांक 29.06.2022 को श्री संजय शर्मा अधिवक्ता द्वारा मैसर्स सर्व आल लैण्ड डवलपर्स प्रा॰ लि॰ जरिये डायरेक्टर हरिमोहन डंगाचय की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी॰पी॰सी॰ के तहत पक्षकार संख्या 4 बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.08.2023 को आदेश पारित किया, जिसमें कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र. क्रय किया है, ऐसे में हमारा मत है कि केता सद्भाविक केता है। उक्त विवेचना करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित उक्त निर्णय दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 145 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में निर्णयों के विरूद्व है। यद्यपि प्रार्थीगण ने उक्त निर्णय के विरूद्व पुनरीक्षण याचिका संख्या 2/2023 (40/2023) माननीय सेशन न्यायाधीश जयपुर जिला के यहां प्रस्तुत की जिस पुनरीक्षण याचिका को दिनांक 26.10.2023 को माननीय अपर जिला न्यायाधीश कम–2 जयपुर जिला जयपुर ने स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2023 को अपास्त कर दिया। दिनांक 09.10.2023 को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.10.2023 तक गवाहान सूची के अनुसार रजिस्टर्ड नोटिस प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। प्रार्थीगण ने दिनांक 16.10.2023 के आदेशानुसार गवाहान के नोटिस प्रस्तुत किये तथा गवाहान की तलबी हेतु पेशी दिनांक 25.10.2023 नियत की गई, जिसमें 22/2024 का अवकाश था यानि नोटिस तामील के लिए बहुत कम समय दिया गया । दिनाक 25.10.2023 को श्री

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

बद्रीनारायण शर्मा उपस्थित हुआ । पीठासीन अधिकारी ने न्यायालय के लिपिक से गवाह का कथन लिखने को कहा व उसके कथन पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में कमरा नम्बर 73 में लिये। पार्टी नम्बर 4 के अधिवक्ता द्वारा दौराने साक्ष्य बद्रीनारायण शर्मा गवाह को मारने के लिए हाथ उठा लिया व गालियां निकाली प्रार्थीगण की आपत्ति पर लिपिक गवाह तथा दोनों पक्षों के अभिभाषक पीठासीन अधिकारी के चैम्बर कमरा नम्बर 102 में गये, लेकिन पीठासीन अधिकारी मौजूद नहीं थे, यानि गवाह के बयान पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति मे लिये गये। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 121 एवं दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 145/146 के तहत गवाह के कथन पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा लिये जाने व आपत्तियों का निपटारा स्वयं किये जाने का प्रावधान है, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने गवाह के कथन स्वयं ना लेकर लिपिक से कहा जो पूर्णरूप से अवैधानिक कार्यवाही है। दिनांक 12.01.2021 को अधीनस्थ जिला न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निपटारा 6 माह में करने तथा गवाह की तलबी सूची के अनुसार कर बयान लेने के निर्देश दिये। दिनांक 27.01.2021 से दिनांक 07.11.2023 तक 67 तारीख पेशी में ना तो पीठासीन अधिकारी न्यायालय में बैठे ना निर्देशानुसार प्रार्थीगण के कथन लिये, अनेकों तारीख पेशियों पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो से व्यस्त रहे । अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 02.08.2023 के आदेश द्वारा यह मानस बना लिया है कि उक्त प्रकरण का निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं करना है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का टैम्पर काफी लूज है तथा उक्त प्रकरण को निरस्त करने का मानस बना रखा है। पीठासीन अधिकारी नीलमा तक्षक ने अपनी राय जाहिर की है कि उक्त प्रकरण की विवादित भूमि से प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि भूमि मैसर्स सर्व आल लैण्ड डवलपर्स प्रा॰ लि॰ द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की जा चुकी है। जयपुर जिला दो भागों में विभक्त हो चुका है तथा उक्त प्रकरण ग्राम लवाना पुलिस थाना चन्दवाजी में स्थित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय को पुलिस थाना चन्दवाजी के क्षेत्र के प्रकरणों की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वयं यह जाहिर कर चुके है कि उक्त प्रकरण को जिला कलक्टर के यहां से अन्तरित करवालों। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा कानून के अनुसार कार्यवाही न करने से तथा टैम्पर लूज होने से तथा न्यायालय में ना बैठने से उक्त पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही है तथा प्रार्थीगण/पार्टी नम्बर 2 को उक्त अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण में उचित न्याय नहीं मिल सकता है । अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है । अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थीगण ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 6 में पीठासीन अधिकारी का कमरा नम्बर 109 बताया है तथा बिन्दू संख्या 9 में कमरा नम्बर 102 बताया है। दोनों में विरोधाभाष है। प्रार्थीगण ने प्रकरण ग्रामीण क्षेत्र का होने का कथन कर सुनवाई क्षेत्राधिकार से बाहर बताया है, परन्तु उक्त प्रकरण न्यायालय के आदेश से अधीनस्थ न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया है। इसलिए सुनवाई की जा सकती है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 19.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner